उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6

संख्या– 178 /29–6–2016–116सा/14

लखनऊ : दिनांक 20 जनवरी, 2016

अधिसूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–20, सन् 2013) की धारा–8, 12, 14, 15, 27, 28 और 29 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा–40 की अपेक्षानुसार आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिये जारी सरकारी अधि=सूचना संख्या–2003/29–6–2015–116 सा/14, दिनांक 05 अगस्त, 2015 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचारोपरान्त निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2–(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–20, सन् 2013) से है;

(ख) "व्यथित व्यक्ति" के अन्तर्गत उसके परिवार का कोई सदस्य भी है;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य नियम–3 के उपनियम (1) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के लिये गठित राज्य खाद्य आयोग से है;

(घ) "आयुक्त" का तात्पर्य खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है;

(ड.) "कलेक्टर" का तात्पर्य सम्बन्धित जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से है;

(च) "संग्रह निधि" ऐसी निधि होगी जो नियम–13 के उपनियम (2) के उपबन्धों को कार्यान्वयित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सृजित की गयी हो;

(छ) "मण्डलायुक्त" का तात्पर्य मण्डल के मण्डलायुक्त से है;

(ज) "परिवार" का तात्पर्य निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह से है:–

- परिवार का मुखिया;
- पति/पत्नी, जिसमें विधिक दत्तक सन्तानें भी हैं;
- वयस्क सन्तानें, जो परिवार के मुखिया पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं;

- अविवाहित, विधिक रूप से पृथक की गयी और विधवा पुत्रियां ; और
- परिवार के मुखिया के पूर्ण रूप से आश्रित माता/पिता;

(झ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ञ) "प्रमुख सचिव" का तात्पर्य प्रमुख सचिव या सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग से है;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित, शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये कमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय–2

पात्र गृहस्थी की पहचान के लिये मार्ग–दर्शक सिद्धान्त

पात्र गृहस्थी की पहचान

3–(1) राज्य सरकार यथासम्भव शीघ्र ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपवर्जन और समावेश सम्बन्धी मापदण्ड भी हैं,के अनुसार निम्नलिखित की पहचान करेगी:–

(क) अन्त्योदय अन्न योजना के अधीन आच्छादित की जाने वाली गृहस्थी; और

(ख) प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी :

परन्तु यह कि ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिनियम से सुसंगत हों।

(2) राज्य सरकार ऐसे अन्तरालों पर या किसी ऐसे अन्य समय पर जैसा वह उचित समझे पात्र गृहस्थी की पहचान कर सकेगी;

(3) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे इस नियमावली के अधीन विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अधिसूचना द्वारा समय–समय पर संशोधित कर सकती है और पात्र गृहस्थी की पहचान के लिये नये सिरे से सर्वेक्षण कराने की अपेक्षा कर सकती है।

अध्याय–3

शिकायत निवारण प्रणाली

जिला शिकायत निवारण अधिकारी

4–(1) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त या पदाभिहित कर सकती है;

(क) ऐसे जनपदों के लिए जहाँ अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति) के पद विद्यमान हैं, वहाँ अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति) को,

(ख) मण्डलीय मुख्यालय के जिलों के लिए सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को और

(ग) शेष जिलों में संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य) को

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा अधिनियम की धारा–15 के अधीन विहित किया गया हो।

(3) राज्य सरकार इस नियमावली से संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित कर्मचारियों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जिले का कलेक्टर उपनियम(3) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई

5–(1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम के अधीन शिकायतों के प्राप्त होने के सम्बन्ध में दिन और समय अधिसूचित करेगा। जिला शिकायत निवारण अधिकारी अपनी ओर से आपत्तियों/शिकायतों को प्राप्त करने के लिये किसी उपयुक्त अधिकारी/कर्मचारी को नामनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी उपनियम (4) के अनुसार जांच करायेगा और यदि वह शिकायत को तथ्यात्मक पाता है तो वह अधिनियम के अधीन प्रदान की गयी हकदारी के अनुपालन के लिये उपनियम (3) में निर्दिष्ट निर्देश और राहत प्रदान कर सकता है;

(3) उपनियम (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले निर्देश और राहत निम्नवत् होंगे:–

(क) तीस दिनों से अनधिक अवधि के भीतर हकदारी;

(ख) तीस दिनों से अनधिक अवधि के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान;

(ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन यथास्थिति ऐसे उपबन्ध या भुगतान का प्रतिनिधित्व करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण;

(घ) कोई अन्य निर्देश जैसा वह उचित समझे;

परन्तु यह और कि ऐसे निर्देश के अन्तर्गत किसी लोक सेवक द्वारा शास्ति का भुगतान नहीं होगा,

परन्तु यह और कि ऐसे निर्देश अधिनियम से असंगत नहीं होंगे।

(4) जिला शिकायत निवारण अधिकारी,–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि मामले में अग्रतर कार्यवाही करने के लिये शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई सार है;

(ख) यदि उसे यह पता चलता है कि शिकायत में कोई सार विद्यमान नहीं है तो शिकायत को खारिज कर देगा;

(ग) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में अग्रतर कार्यवाही करने के लिये प्रथम दृष्टया कोई आधार है तो सुनवाई के लिये समस्त पक्षकारों को दिनांक समय और स्थान निश्चित करते हुये एक नोटिस जारी करेगा;

(घ) पक्षकारों की सुनवाई करेगा और ऐसे साक्ष्य प्राप्त करेगा जो सुनवाई के लिये नियत दिनांक को प्रस्तुत किये जा सकें या

आवश्यक समझे जायें या नियत दिनांक को शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने पर शिकायत को खारिज कर सकता है;

(ड.) कार्यवाही को पक्षकारों के निवेदन पर या स्वप्रेरणा से मूल्य के साथ या बिना मूल्य के किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित करेगा;

(च) जॉच के पश्चात शिकायत के सम्बन्ध में निर्णय करेगा।

शिकायतों का यथासमय निस्तारण

6– जिला शिकायत निवारण अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरण न किये जाने और उससे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिये 90 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील

7–(1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील दायर करेगा।

(2) उपधारा (I) के अधीन दायर की गयी अपील के साथ राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित दस्तावेज और शुल्क प्रदान किये जायेंगे।

शिकायत निवारण तंत्र की अन्य आंतरिक प्रणाली

8– शिकायतों के निस्तारण के लिये शिकायत निवारण तंत्र की आंतरिक प्रणाली के अतिरिक्त राज्य सरकार यथा सम्भव शीघ्र वेब पर आधारित शिकायत निवारण पोर्टल उपलब्ध करायेगी।

सतर्कता समितियॉं

9–(1) राज्य सरकार इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात या उसके बाद किसी भी समय जैसा वह उचित समझे, यथाशीघ्र राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करेगी।

(2) सतर्कता समिति/समितियों में निम्नलिखित सदस्य होंगे और अपने गठन के दिनांक से वे दो वर्ष के लिये विद्यमान रहेंगी–

(क) <u>राज्य स्तर पर</u>–

(एक) खाद्य आयुक्त,उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष

(दो) खाद्य एवं रसद विभाग में विशेष सचिव स्तर का एक अधिकारी, जो सचिव/प्रमुख सचिव

द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा;

(तीन) निदेशक, मध्यान्ह भोजन;

(चार) निदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना;

(पांच) विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, जो प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा;

(छः) अपर आयुक्त, रसद, संयोजक होगा;

(सात) मुख्य विपणन अधिकारी / सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी (मुख्यालय)– सदस्य

(आठ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के किसी शहरी या ग्रामीण स्थानीय निकाय का अध्यक्ष;

(नौ) खाद्य, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली या पुष्टाहार से सम्बन्धित क्षेत्र में पॉच वर्ष से अनधिक समय तक कार्य करने का अभिलेख स्थापित करने वाले दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

(ख)– <u>जिला स्तर पर</u> –

(एक) कलेक्टर – अध्यक्ष;

(दो) जिला स्तरीय दो अधिकारी, जो कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

(तीन) एकीकृत बाल विकास योजना के बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी;

(चार) जिला आपूर्ति अधिकारी संयोजक होगा;

(पॉच) मण्डलायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट जिले में किसी एक शहरी या स्थानीय निकाय का अध्यक्ष;

(छः) जिला खाद्य विपणन अधिकारी– सदस्य

(सात) खाद्य, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली या पुष्टाहार से सम्बन्धित क्षेत्र में दो वर्ष से अनधिक समय तक कार्य करने का अभिलेख स्थापित करने वाले जिले में निवास करने वाले कोई दो व्यक्ति, जो मण्डलायुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

(ग) <u>ब्लाक स्तर पर</u> –

(एक) उस परगना का परगना मजिस्ट्रेट जिसमें ब्लाक स्थित है – अध्यक्ष;

(दो) ब्लाक का ब्लाक प्रमुख;

(तीन) ब्लाक का खण्ड विकास अधिकारी;

(चार) परगना मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी;

(पांच) क्षेत्रीय विपणन अधिकारी / विपणन अधिकारी–सदस्य

(छः) खण्ड शिक्षा अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना का बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का

प्रभारी चिकित्साधिकारी;

(सात) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, संयोजक होगा;

(आठ) सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत में स्थित ग्राम पंचायत में निवास करने वाले दो व्यक्ति जो कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

(घ) <u>उचित दर दुकान स्तर पर</u> –

(एक) पंचायत का ग्राम प्रधान;

(दो) ग्राम सभा की प्रशासनिक समिति का वरिष्ठतम सदस्य– सदस्य

(तीन) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्राथमिक विद्यालय का प्राध्यापक, एकीकृत बाल विकास योजना की ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता;

(चार) ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी,सदस्य संयोजक होगा;

(पाँच) ग्राम सभा के तीन सदस्य (अर्थात ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति), जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे;

परन्तु यह कि इस उपनियम में गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निस्सहाय व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सतर्कता समितियाँ कलैण्डर वर्ष के प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेंगी।

सामाजिक संपरीक्षा

10– स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकानों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में उक्त दुकानों या योजनाओं और सम्बन्धित प्राधिकारियों को पन्द्रह दिन की सूचना देने के बाद राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पूर्व संपरीक्षा सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवायेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र में अभिलेख का रखा जाना

11–(I) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित निम्नलिखित सभी अभिलेखों:–

(क)पात्र प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख)अधिनियम की धारा–3 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के लिये अन्त्योदय अन्न

योजना गृहस्थी या पात्र प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी के रूप में परिलक्षित हिताधिकारियों की सूची;

(ग)उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन खाद्यान्न जिसके अन्तर्गत गुणवत्ता और कीमत भी है, से सम्बन्धित हिताधिकारियों की हकदारी;

(घ)राज्य, जिला और ब्लाक आदि में उचित दर दुकानों का विवरण;

(ड.)अधिनियम के प्रभावी एवं कुशल कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार या खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टरों, जिला शिकायत निवारण अधिकारियों या राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों को जारी किये गये नीति सम्बन्धी निर्देश;

(च)कोई अन्य अभिलेख जिन पर खाद्य आयुक्त द्वारा विचार किया जाये, को सार्वजनिक क्षेत्र में वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा और जनसाधारण के निरीक्षण के लिये निःशुल्क खुला रहेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ–(4) में इंगित प्राधिकारियों द्वारा इस नियमावली से संलग्न अनुसूची ख में उल्लिखित स्थानों पर रखा जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति निवेदन करके अभिलेखों की प्रतियां, खाद्य आयुक्त द्वारा यथाअवधारित्त शुल्क का भुगतान करके प्राप्त कर सकता है जो उक्त व्यक्ति को शुल्क सहित लिखित निवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जायेंगी।

अध्याय–4

विविध

खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान

12–(1) इस नियमावली से संलग्न अनुसूची 'ग' के स्तम्भ–2 में उल्लिखित कार्यालय/अधिकारी, यथासमय प्रत्येक के सम्मुख विनिर्दिष्ट कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे।

(2) अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित हकदारी उपलब्ध कराने में विफल रहने की दशा में, हिताधिकारी को, अधिनियम की धारा–8 और धारा–39 के उपबन्ध के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया कोई खाद्य सुरक्षा भत्ता, इस नियमावली से संलग्न अनुसूची 'ग' में उल्लिखित उत्तरदायी कार्यालय/अधिकारी से वसूल किया जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, खाद्य सुरक्षा भत्ते की लागत वहन भारत सरकार द्वारा उसके कार्यान्वयन के दिनांक से प्रथम वर्ष के लिये करेगी ।

(4) संग्रह निधि का सृजन उपनियम (3) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा तत्काल की जायेगी :

परन्तु यह कि ऐसी संग्रह निधि का स्थान और इससे भुगतान अवमुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर भत्ते के यथासमय भुगतान के लिये प्रत्यायोजित की जायेगी।

(5) राज्य सरकार और खाद्य आयुक्त, उपरोक्त उपनियम (3) की अपेक्षानुसार उनमें से वसूली हेतु व्यवस्था करने के लिये उचित दर दुकानों तथा वाहकों द्वारा उच्चतर/पर्याप्त सुरक्षा जमा इत्यादि सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे।

(6) राज्य सरकार और खाद्य आयुक्त, उपनियम (5) में, सुरक्षा धनराशि इत्यादि के निःशेष के पश्चात् उपनियम (3) के अधीन वसूलीयोग्य अतिशेष की भू–राजस्व के बकाये के रूप में, वसूली सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी।

अदावाकृत हकदारियों की रिपोर्ट

13– अधिनियम के अधीन हकदारियों के परिदान के लिये उत्तरदायी कोई लोक प्राधिकारी, ऐसे मामलों में जहाँ हिताधिकारी हकदारियों के दावे के लिये उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी घटना की रिपोर्ट, हिताधिकारीवार सूची के साथ, राज्य सरकार द्वारा यथाअधिसूचित कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी को भेजेगा ।

हकदारियों के उपबन्ध में व्यतिक्रम का फीडबैक

14– राज्य सरकार, नियम–13 के अधीन फीडबैक तंत्र के लिये विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जिसके अन्तर्गत दस्तावेजीकरण के मार्गदर्शक सिद्धान्त इलेक्ट्रानिक/ऑनलाइन प्रक्रिया इत्यादि भी हैं, यथासम्भव शीघ्र जारी करेगी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

15– राज्य सरकार, यथासम्भव शीघ्र, अधिनियम की धारा–12 द्वारा यथा अपेक्षित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिये विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिसूचित करेगी।

अनुसूची– क

प्रत्येक जिला शिकायत निवारण अधिकारी, कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची।

(नियम 5 (3) देखिये)

क0 सं0	पद	संख्या	ग्रेड वेतन
1–	स्टेनोग्राफर कम कम्प्यूटर आपरेटर	1	5,200–20,200 ग्रेड वेतन 2,800
2–	वरिष्ठ सहायक	1	5,200–20,200 ग्रेड वेतन 2,800
3–	कनिष्ठ सहायक	1	5,200–20,200 ग्रेड वेतन 1,900
4–	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	भर्ती सेवा– प्रदाता के माध्यम से

अनुसूची– ख

स्थानों की सूची जहाँ दस्तावेजों को निरीक्षण के लिये खुला रखा जायेगा।

(नियम 10 (3) देखिये)

कम	स्तर, जिस तक अभिलेख अनुरक्षित किये जाने हैं	सम्बन्धित कार्यालय	सम्बन्धित अधिकारी
1	2	3	4

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित दस्तावेज

1.	राज्य स्तरीय अभिलेख	खाद्य आयुक्त, कार्यालय पर	खाद्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर आयुक्त
2.	जिला स्तरीय अभिलेख	जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय पर	जिला पूर्ति अधिकारी
3.	ब्लाक/शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय अभिलेख	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय पर	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक
4.	ग्राम स्तर अभिलेख	ग्राम पंचायत कार्यालय पर	ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी

अनुसूची– ग

नियत समय के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये कार्यालय/अधिकारी के उत्तरदायित्व

(नियम 12 (1) देखिये)

क0 सं0	उत्तरदायित्व	अपेक्षित कार्यवाही
(1)	(2)	(3)
1.	खाद्य आयुक्त कार्यालय और खाद्य एवं रसद विभाग	वर्ष के प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व पात्र गृहस्थियों के लिये आवंटन हेतु मॉग को प्रेषित करना।
2.	खाद्य आयुक्त कार्यालय (भारत सरकार से प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जायेगा)	भारत सरकार से सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (आर0एफ0सी0) को प्राप्त वार्षिक आवंटन का प्रचार–प्रसार करना।
3.	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक (उठाने वाले माह के कम से कम 15 दिन पूर्व)	भारतीय खाद्य निगम (एफ0सी0आई0) के साथ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा धन का जमा किया जाना।
4.	प्रत्येक माह की दिनांक 22 वीं तारीख तक पूर्ण किया जायेगा	भारतीय खाद्य निगम के भण्डार से खाद्यान्न का उठाया जाना
	राज्य खाद्य निगम (रा0खा0नि0) का जिला प्रबन्धक	लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और देवीपाटन मण्डल में
	जिला खाद्य विपणन अधिकारी	अन्य मण्डलों में
5.	उठाने के प्रारम्भ के कम से कम 15 दिनों पूर्व पर्याप्त क्षमता वाले किराये पर लेने/व्यवस्था हेतु ब्लाक भण्डार	
	राज्य खाद्य निगम का भण्डार प्रभारी (रा0खा0नि0)	लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और देवीपाटन मण्डलों में
	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी(ए0एम0ओ0) / विपणन निरीक्षक(एम0आई0)	अन्य मण्डलों में
6.	ब्लाक भण्डार पर खाद्यान्न की प्राप्ति	
	राज्य खाद्य निगम का भण्डार प्रभारी (रा0खा0नि0)	लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और देवीपाटन मण्डलों में
	क्षेत्रीय विपणन अधिकारी /विपणन निरीक्षक	अन्य मण्डलों में
7.	सम्बन्धित भण्डार के लिये उचित दर दुकान स्वामी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (ए0आर0ओ0)/ पूर्ति निरीक्षक(एस0आई0)	खाद्यान्न को उठाने के लिये उचित दर विक्रेता द्वारा धन का जमा किया जाना

	अथवा यदि इनमें से कोई उपलब्ध नहीं है तो सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी (उठाये जाने के माह के दिनांक 16 से 12 के मध्य)	
8.	सम्बन्धित भण्डार के लिये क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (ए0आर0ओ0)/पूर्ति निरीक्षक (एस0आई0) अथवा इनमें से कोई उपलब्ध नहीं है तो सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी (धन के जमा किये जाने के अगले दिन)	भण्डार प्रभारी/क्षेत्रीय विपणन अधिकारी /विपणन निरीक्षक को जमा किये गये धन का विवरण प्रदान करना
9.	ब्लाक भण्डार से खाद्यान्न का उठाया जाना	
	राज्य खाद्य निगम का भण्डार प्रभारी/ क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा (उठाये जाने के माह के 23 वीं तारीख से अन्त तक)	जहॉं घर–घर सुपुर्दगी प्रवृत्त है
	उचित दर दुकान स्वामी द्वारा (उठाये जाने के माह के 23 वीं तारीख से अन्त तक)	अन्य क्षेत्रों में
10.	उचित दर दुकान स्वामी द्वारा	हिताधिकारियों को उचित दर दुकान स्वामी द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जाना।

क. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक और उनके उठाने वाले अभिकरण यथा राज्य खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम भण्डार से ब्लाक भण्डार तक खाद्यान्नों को यथासमय उठाने हेतु सुनिश्चित करने की पर्याप्त क्षमता वाले परिवहन ठेकेदारों को यथोचित संख्या में नियुक्त करेगा।

ख. निम्नलिखित मामलों में, परिवहन ठेकेदारों के साथ किये गये करार में खाद्य एवं रसद विभाग के एक या एक से अधिक अधिकारियों द्वारा संदत्त या संदेय खाद्य सुरक्षा भत्ता, यदि कोई हो, की वसूली के लिए एक उपबन्ध होगा।

(एक) यदि ऐसे ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को विभाग द्वारा समय से उठाने के लिये आदेश जारी किया गया है;

(दो) यदि ब्लाक भण्डार में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है;

(तीन) भारतीय खाद्य निगम भण्डार में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है;

ग. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, अग्रिम में संचलन योजना तैयार करेगा और इसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर करेगा। उठाने की दैनिक प्रास्थिति खाद्य आयुक्त, कार्यालय को भी प्रेषित किया जायेगा।

घ. उचित दर दुकान स्वामियों द्वारा नियत दिनांक पर हिताधिकारियों को खाद्यान्न वितरित किया जायेगा और ऐसे प्रत्येक वितरण दिवस के दो दिनों के भीतर

हिताधिकारियों द्वारा खाद्यान्न को उठाने की रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

ड खाद्य सामग्री उठाने वाले हिताधिकारियों, उचित दर दुकान पर अवशेष खाद्य सामग्री और खाद्यान्न न उठाने वाले हिताधिकारियों, की सूची, वितरण माह के अन्त द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को भी दी जायेगी। तदनुसार उचित दर दुकानवार सूची और खाद्य सामग्री न उठाने वाले हिताधिकारियों के बारे में सूचना, प्रत्येक माह कलेक्टर को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रेषित की जायेगी।

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।